मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक / 1327 / 1636 / 2020 / 10–3 भोपाल, दिनाक: 16 अक्टूबर, 2020

प्रति,

सचिव,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003.

विषयः– धार जिले के अंतर्गत चुनार टैंक परियोजना के निर्माण हेतु 95.387 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की औपचारिक अनुमति जारी करने के संबंध में।

वि0पत्रः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक **8-30/2017-FC** दिनांक 24.07.2019

—0—

जल संसाधन विभाग द्वारा धार जिले में चुनार सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 95.387 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव पर दिनांक 15.06.2017 को नई दिल्ली में आयोजित वन सलाहकार समिति (FAC) द्वारा विचार किया गया था। FAC द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। तत्पश्चात भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 8-30/2017-FC दिनांक 12.09.2017 से इस प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई।

2. भारत सरकार द्वारा जारी इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के पालन में जल संसाधन विभाग द्वारा रू. 1055.81 लाख की राशि दिनांक 16.10.2017 को ई–पोर्टल के माध्यम से भुगतान की गई तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग को अधिपत्य में सौंप दी गई।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डलाधिकारी, धार के माध्यम से उनके पत्र दिनांक 04.12.2017 से प्राप्त हुआ जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 19.12.2017 से भारत सरकार को औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2018 से 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई यह जानकारियां नोडल अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2018 से भारत सरकार को प्रेषित की गई। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 08.05.2018 से पुनः 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 16.11.2018 से भारत सरकार को प्रेषित की गई। भारत सरकार द्वारा पुनः पत्र दिनांक 24.12.2018 से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई जिसे पत्र दिनांक 16.01.2019 से भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

निरन्तर 2

AJ 661

260

4. भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 24.07.2019 से यह अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पानी का भराव भी प्रारम्भ हो गया है। भारत सरकार द्वारा इस पत्र से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी मार्गदर्शिका वर्ष 2019 के पैरा 1.21(ii) प्रावधानों का उल्लंघन होने का उल्लेख करते हुये जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया है।

5. भारत सरकार द्वारा प्रकरण मुख्यतः निम्न 02 बिन्दुओं पर बार–बार जानकारी चाही गई :–

a. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण उपलब्ध न कराना।

b. R & R प्लान प्रस्तुत न करना।

6. उक्त बिन्दुओं पर टीप निम्नानुसार है :–

a. इस परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजते समय जल संसाधन विभाग द्वारा जिलाध्यक्ष, धार से प्राप्त FRA प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। भारत सरकार द्वारा जानकारी चाहे जाने पर यह कार्यवाही विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया गया। इस कार्यवाही विवरण में ग्रामीणों के हस्ताक्षर कम होने के कारण इसे बाद में पूर्तियां कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

b. R & R प्लान के संबंध में भारत सरकार को यह कई बार लेख किया गया कि इस परियोजना से किसी परिवार का विस्थापन नहीं होना है, अतः R & R प्लान तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

7. जल संसाधन विभाग द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति की शर्तों के अनुसार तत्काल ही सभी राशियां जमा की गई है तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि भी तत्काल उपलब्ध कराई गई है। यह कार्यवाहियां पूर्ण होने के बाद ही जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है।

8. भारत सरकार द्वारा नॉन लीनियर प्रस्तावों में समस्त भुगतान तथा गैर वनभूमि देने के बाद कार्य करने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में भी जल संसाधन विभाग ने उपरोक्त कार्यवाहियां पूर्ण करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया है। भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी करने के लिये बार–बार अतिरिक्त जानकारियां चाही गई जिसके कारण प्रकरण में अत्यंत विलम्ब हुआ है। बड़े निर्माण कार्यों में इस प्रकार के विलम्ब होने पर परियोजना की लागत में काफी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में यदि कोई अधिकारी जानबूझकर उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो इस संबंध में उसके विरूद्ध विचारोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में कृपया भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति शीघ्र जारी कराने का कष्ट करें।

(अशोक बर्णवाल)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

AJ 662